रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2015/कार्तिक 12, 1937
No. 679] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2015/KARTIKA 12, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 831(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप–धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) की धारा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सचिव श्री एन. मुरूगानन्दम की पोत परिवहन मंत्रालय में कार्य अवधि समाप्त होने पर, उनके कार्यमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सा.का.नि. 521 (अ) दिनांक 23.07.2014 की अधिसूचना के द्वारा मुंबई पत्तन न्यास में न्यासी के रूप में नियुक्त किए गए थे, के स्थान पर श्री आर.के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय को 31.03.2016 तक मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी–11013/4/2013–एल]

बी. पोयामोझी, विकास सलाहकार (पत्तन)

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2015

G. S. R. 831(E).— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub- section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), consequent upon relieving of Shri N. Muruganandam, Joint Secretary after completion of his tenure from Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Rabinder Kumar Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Shipping on the Board of Trustees of Mumbai Port Trust for the term upto 31.03.2016 in place of Shri N. Muruganandam, Joint Secretary, who was appointed, vide Notification G.S.R. 521(E) dated 23.07.2014, on the Board of Trustees of Mumbai Port Trust.

[F. No. LB-11013/4/2013-L]

B. POIYAAMOZHI, Development Advisor (Ports)

4683 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.